



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATIONभारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCEमारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O.

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1943 / Type Approval No. 1943

मद/FOR ITEM: ए ई डब्ल्यू एंड सी वायुयान हेतु सेकेंडरी सर्विलेंस रेडार /
Secondary Surveillance Radar for AEW&C Aircraft

यह प्रमाणित किया जाता है कि वायुवाहित प्रणाली केंद्र (कैम्स) डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, यमलूर पोस्ट, बेंगलूरु- 560 017, द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा निम्नलिखित सूची में दर्शाई गई फर्मों द्वारा उत्पादित ए ई डब्ल्यू एंड सी के "सेकेंडरी सर्विलेंस रेडार के स्वदेशीकृत एल आर यू" को ईएमबी 145आई-एईडब्ल्यू एंड सी वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। पार्ट संख्याओं सहित एल आर यू और अनुप्रयुक्त एस ओ पी का विवरण परिशिष्ट - 'ए1' और 'ए2' में दिया गया है। ये एल आर यू परिशिष्ट - 'ए1' और 'ए2' में सूचित संबंधित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्लान दस्तावेजों की अनुप्रयुक्त आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षित और कम्प्लायन्स सत्यापित किए गए हैं।

This is to certify that the "The Indigenous LRUs of Secondary Surveillance RADAR" of AEW&C designed and developed by Centre for Airborne Systems (CABS), DRDO, Ministry of Defence, Yemlur Post, Bengaluru - 560 017 and manufactured by firms as per list given below, are hereby approved for use on EMB 145I - AEW&C Aircraft. The details of LRUs with Part Nos. and applicable SOPs are listed in Appendices A1 & A2. These LRUs have been tested and compliance has been verified as per the applicable requirements laid out in respective Technical Specification and Qualification Test Plan documents as listed in Appendices A1 & A2.

Sl No.	Name	Part No.	Designed & Developed by	Manufactured by	Type Record Compliance
1	IFF Signal Processing and MCS Controller Unit (IFF_SP & MCS_CU)	A02-SGPR-02R	CABS, DRDO Bengaluru	CABS, DRDO Bengaluru -560 017	Appendix A1
2	Transmit Receive Unit (Tx Rx Unit)	A02-TRXB-01R	CABS, DRDO Bengaluru and BEL, Ghaziabad	BEL, Ghaziabad - 201 010	Appendix A2

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ समूह निदेशक (प्रणाली), सेमिलैक, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request G.D (Systems), CEMILAC for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु -560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.


संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए1' एवं परिशिष्ट 'ए2'/Appendix- 'A1' & Appendix-'A2'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1943

दिनांक/Date : 25 January 2018

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

KJ
22/1/18
JR
23/1


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)